भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **940**

दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सैन्य बेस पर उड़ान प्रचालन

940. श्री दीपक बैज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घरेलू वायु संपर्क बढ़ाने के लिए सैन्य एअर बेसों पर उड़ान प्रचालन की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एअर बेसों की संख्या कितनी है और उड़ानों के प्रचालन राज्य-वार कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे नए प्रचालनों में विमानन कंपनियों को प्रभारों में छूट प्रदान करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी हाँ। असैनिक उड़ान प्रचालनों के लिए प्रयोग में आने वाले रक्षा हवाईअड्डों की राज्य-वार सूची अनुबंध -1 पर है।

(ग): रक्षा एयरबेस में विमानन कंपनियों के लिए कोई छूट नहीं दी जाती है। तथापि, यदि ऐसे एयरबेस/सिविल एंक्लेव आरसीएस हवाईअड्डे हैं, तो उन्हें क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत चयनित एयरलाइन प्रचालकों को छूट दी जाती है। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार , राज्य सरकारें और हवाईअड्डा प्रचालक रक्षा हवाईअड्डों सहित क्षेत्रीय हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) के लिए निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध करवाई जाएगी।

1. केंद्र सरकार:

(i) इस योजना की अधिसूचना की तारीख से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए आरसीएस उड़ानों के लिए आरसीएस हवाईअड्डों पर चयनित एयरलाइन प्रचालकों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क।

(ii) लागू विनियमों तथा प्रचलित विमान सेवा करारों के आधार पर घरेलू एयरलाइनों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ कोड शेयरिंग व्यवस्था में शामिल होने की स्वतंत्रता।

2. राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में आरसीएस हवाईअड्डों पर :

(i) इस योजना की अधिसूचना की तारीख से दस वर्षों की अवधि के लिए राज्य के भीतर स्थित आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ पर वैट में 1% अथवा कम की कमी।

(ii) आरसीएस हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्नि शमन सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करना।

3. हवाईअड्डा प्रचालक :

(i) हवाईअड्डा प्रचालक अवतरण प्रभारों तथा पार्किंग प्रभारों की वसूली नहीं करेगा।

(ii) चयनित एयरलाइन प्रचालकों को सभी हवाईअड्डों पर उनकी आरसीएस उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) एएआई आरसीएस उड़ानों पर किसी प्रकार के टर्मिनल दिकचालन अवतरण प्रभार (टीएनएलसी) की वसूली नहीं करेगा।

(iv) एएआई द्वारा मार्ग दिकचालन और सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) की वसूली आरसीएस उड़ानों पर सामान्य दरों के 42.50% की दर से डिस्काउंट आधार पर की जाएगी।

उपर्युक्त के अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) प्रदान करेंगी। इसे 80:20 के अनुपात में नागर विमानन मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा।

*****

अनुबंध-I

सैन्य हवाई अड्डों की सूची

1	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्नम (सीई)
2	असम	जोरहाट (सीई)
3		सिल्चर (सीई)
4		तेजपुर (सीई)
5	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर (सीई)
6	अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट (सीई)
7	चंडीगढ़ (यूटी)	चण्डीगढ़(सीई)
8	गोवा	गोवा (सीई)
9	गुजरात	भुज (सीई)
10		जामनगर (सीई)
1 1	जम्मू और कश्मीर	जम्मू (सीई)
12		लेह (सीई)
13		श्री नगर (सीई)
14	कर्नाटक	बंगलौर (सीई)
15	मध्य प्रदेश	ग्वालियर (सीई)
16	महाराष्ट्र	पुणे (सीई)
17	पंजाब	आदमपुर (सीई)
18		भटिंडा (सीई)
19		पठानकोट (सीई)
20	राजस्थान	बीकानेर (सीई)
21		जैसलमेर (सीई)
22		जोधपुर (सीई)
23	उत्तर प्रदेश	आगरा (सीई)
24		इलाहाबाद (सीई)
25		गोरखपुर (सीई)
26		कानपुर चकेरी (सीई)
27	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा (सीई)

सीई* सिविल इंक्लेव